पत्र संख्या-7/भा०स०प०-17-05/2005 (खंड) 6187 /

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त,
सभी स्वायत्त संस्था/सभी लोक उपक्रम/निगम/निकाय,
सभी निबंधित गैर सरकारी संस्था (राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त)
झारखंड ।

रांची, दिनांक-18 नवम्बर, 2006

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के निमित्त ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-17.11.2006 को एक मामले में अपील की सुनवाई के क्रम में झारखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा यह निदेश दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के निमित्त सभी विभागों/कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार के मनोनयन से संबंधित अद्यतन सूची उपलब्ध करायी जाय । आयोग में सुनवाई के क्रम में यह पाया गया कि विभिन्न विभागों में पदाधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के पश्चात लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार के मनोनयन से संबंधित अद्यतन सूचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में उपलब्ध नहीं है, जिस कारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सभी विभागों के लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित अद्यतन सूची झारखंड राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है ।

अतएव, अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार के मनोनयन से संबंधित अद्यतन सूचना नाम, पदनाम, पता एवं टेलीफोन नम्बर के साथ तीन दिनों के अंदर निश्चित रूप से इस विभाग तथा झारखंड राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । साथ ही यह भी अनुरोध

है कि भविष्य में यदि पदाधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन के पश्चात उपर्युक्त स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना निश्चित रूप से इस विभाग तथा झारखंड राज्य सूचना आयोग को भी उपलब्ध करायी जाय ।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-7/भा०स०प०-17-05/2005 (खंड) 6187 / रांची, दिनांक-/8नवम्बर, 2006

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखंड राज्य सूचना आयोग, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को इससे अवगत कराया जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।